



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 7 सितम्बर, 2017 / 16 भाद्रपद, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 सितम्बर, 2017

संख्या: पब-ए-(3)-4 / 2014.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में **विज्ञापन रूपकार, वर्ग-III (अराजपत्रित)** के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, विज्ञापन रूपकार, वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
मुख्य सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क)

उपाबन्ध—“क”

हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में विज्ञापन रूपकार, वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1. **पद का नाम.**—विज्ञापन रूपकार
2. **पद की संख्या.**— 01 (एक)
3. **वर्गीकरण.**— वर्ग—III (अराजपत्रित)
4. **वेतनमान.**— (i) नियमित पदधारी के लिए वेतनमान:
₹ 5910–20200 जमा ₹ 1900 /— ग्रेड पे ।
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धियां:
स्तम्भ 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 7810 /— प्रतिमास ।
5. **“चयन” पद अथवा “अचयन” पद.**—लागू नहीं ।
6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**— 18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हता(ए).—(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

(ii) डोएक (एन.आई. ई. एल.आई.टी.) प्रत्यायित/मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से ग्राफिक डिजाईनिंग में कम से कम एक वर्षीय प्रमाण—पत्र कोर्स ।

(iii) सामान्यतः प्रयुक्त डिजाईन प्रोग्रामों जैसे कि अडोबी फोटोशाप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा और पेज मेकर आदि से सुपरिचित हो ।

(iv) किसी समाचार—पत्र/विज्ञापन एजेंसी में ग्राफिक डिजाईनर कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।

(ख) वांछनीय अर्हताएं.—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं :

आयु.— लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता.— लागू नहीं ।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे ।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैंकेण्डमैण्ट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ऐसा न होने पर सैंकेण्डमैण्ट आधार पर ।

11. प्रोन्नति, सैंकेण्डमैण्ट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.—हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों के, उपरोक्त स्तम्भ (7)(क)(i), (ii) और (iii) के सामने सीधी भर्ती के लिए यथाविहित अनिवार्य अर्हता धारण करने वाले और समरूप वेनतमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैंकेण्डमैण्ट के आधार पर ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—लागू नहीं ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—I में यथाविनिर्दिष्ट मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग

या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण की दक्षता या पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा/शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी :—

(I) **संकल्पना.**—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में विज्ञापन रूपकार को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कायक्षेत्र में आना.**—निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) **संविदात्मक उपलब्धियां.**—संविदा के आधार पर नियुक्त विज्ञापन रूपकार को ₹ 7,810/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹234/- (पद के बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) **नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.**—निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) **चयन प्रक्रिया.**—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथाविनिर्दिष्ट के मूल्यांकन परीक्षा के गुणागुण पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन के पश्चात् लिखित परीक्षा के गुणागुण की दक्षता या पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा/शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिये चयन समिति.**—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) **करार.**—अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-“ख” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 7,810/— की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 234/— (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। दो से कम जीवित बालकों वाली संविदा पर नियुक्त महिला को एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी /आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ.) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0—एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0 पी0एफ/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.— लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

परिशिष्ट-I

वर्ग-III के पदों के लिए

1.	लिखित परीक्षा [लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे] ।	85 अंक
2.	अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है: — (i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता । =2.5 अंक [शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50 x 0.025) अनुज्ञात किए जाएंगे] । (ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित । =01 अंक (iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा । =01 अंक (iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है । =01 अंक (v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन । = 01 अंक (vi) एन.एस.एस.(कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाईड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता । =01 अंक (vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित ₹40,000 से कम (समस्त स्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब । =02 अंक	15 अंक

(viii)	विधवा/तलाक शुदा/अकिंचन/एकल महिला।	=01 अंक
(ix)	इकलौती पुत्री/अनाथ	=01 अंक
(x)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण।	=01अंक
(xi)	सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)	=2.5 अंक

उपाबन्ध—“ख”

विज्ञापन रूपकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विज्ञापन रूपकार के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :—

1. यह कि प्रथम पक्षकार विज्ञापन रूपकार के रूप मेंसे प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्..... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 7,810/—प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। दो से कम जीवित बालकों वाली संविदा पर नियुक्त महिला को एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त

के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0 पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1. _____

(नाम व पूरा पता)

2. _____

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. _____

(नाम व पूरा पता)

2.-----

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. PUB-A (3)-4/2014, DATED 04-09-2017 AS REQUIRED UNDER ARTICLE 348(3) OF THE CONSTITUTION OF INDIA].

INFORMATION & PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th September, 2017

No. Pub-A (3)-4/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Advertisement Designer Class-III (Non-Gazetted) in the Information and Public Relations Department, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Information & Public Relations Department, Advertisement Designer, Class-III (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
 Sd/-
Chief Secretary (I&PR).

"ANNEXURE-A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ADVERTISEMENT DESIGNER CLASS-III (NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF INFORMATION & PUBLIC RELATIONS, HIMACHAL PRADESH.

- 1. Name of the post.**— Advertisement Designer
- 2. Number of post.**— 01 (One)
- 3. Classification.**— Class-III (Non-Gazetted)
- 4. Scale of Pay.**— (i) Pay scale for regular incumbent:
 Pay Band ₹ 5910 -20200 + ₹1900/- Grade Pay
 (ii) Emoluments for contract employee:
 ₹ 7810/- as per details given in Column 15-A.

5. Whether “Selection” post or “Non-Selection” post.—Not applicable**6. Age for direct recruitment.—**Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis or on contract basis had become overage on the date he / she was appointed as such, he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes /Scheduled Tribes /Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are /were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations /Autonomous Bodies.

Note.— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s).—(i) 10+2 from a recognized Board / University.

(ii) At least one year certificate course in Graphic Designing from any DOAEC (NIELIT) accredited / recognized institute.

(iii) Should be familiar with commonly used Graphic Design programs such as Adobe Photoshop, Illustrator, Coral Draw and Page Maker etc.

(iv) At least two years experience of working in a newspaper/advertisement agency as graphic designer.

(b) *Desirable Qualification(s).*—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s).—*Age.*— Not applicable.

Educational Qualification.— Not applicable

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade for which promotion/secondment/transfer is to be made.—On secondment basis from amongst the incumbents of this post subject to possessing of essential qualification as prescribed for direct recruitment against Column No. 7(a) (i), (ii) & (iii) above and working in the identical pay scale from other Departments of Himachal Pradesh Government.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?—Not applicable

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) **CONCEPT.—**(a) Under this policy the Advertisement Designer in the Department of Information & Public Relations, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis:

Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed / extended.

(b) **POST FALLS WITH IN THE PURVIEW OF H.P.S.S.C.—**The Director, Information & Public Relations, Himachal Pradesh, after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) **CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—**The Advertisement Designer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹7,810/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹234/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Information & Public Relations, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.— Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which , will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur/other recruiting agency/authority, as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules:

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹7810/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹234/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days'(irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.

However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer /Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in the case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to the contract appointee(s).

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable

18. Power to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

APPENDIX-I

FOR CLASS-III POST

	WRITTEN TEST	
1.	[Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks].	85 Marks
2.	Evaluation of candidate to be made in the following manner:— (i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks [Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)] (ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. =01 Mark	15 Marks

(iii)	Land less family/family having land less than One Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =01 Mark	
(iv)	Non –employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. =01 Mark	
(v)	Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity. =01 Mark	
(vi)	NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/ Medal winner in National Level sports competitions. =01 Mark	
(vii)	BPL family having annual income (from all sources) below ₹ 40,000/- or as prescribed by the Government from time to time. =02 Marks	
(viii)	Widow/divorced/destitute/single woman. =01 Mark	
(ix)	Single daughter/Orphan =01 Mark	
(x)	Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution. =01 Mark	
(xi)	Experience upto a maximum of 5years in Government/Semi-Government Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) =2.5 Marks	

ANNEXURE-“B”

Form of contract/agreement to be executed between the Advertisement Designer and the Government of Himachal Pradesh through Director, Information & Public Relations.

This agreement is made on this day of in the year between Sh./Smt. s/o/d/o Sh.R/o Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), and the Governor of Himachal Pradesh through Director, I&PR, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Advertisement Designer on contract basis on the following terms & conditions:

1. That the First Party shall remain in the service of the Second Party as a Advertisement Designer for a period of one year commencing on day ofand ending on the day of..... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e* on and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ₹ 7,810/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days'. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days'(irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical ground, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to his/her regular counterpart at the minimum of pay scale.
9. The employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s) .

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS

(Name and full address)

1. _____

(Name and full address)

2. _____

IN THE PRESENCE OF WITNESS

(Name and full address)

1. _____

(Name and full address)

2. _____

SIGNATURE OF THE FIRST PARTY

SIGNATURE OF THE SECOND PARTY

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, 30th August, 2017

No. HHC/Estt.3(406)/95-I.—One day's earned leave for 25.8.2017 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Gopal Sawroop Kaushal, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Gopal Sawroop Kaushal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Gopal Sawroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

BY ORDER

Sd/-

REGISTRAR GENERAL

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, 30th August, 2017

No. HHC/Admn.3(221)/86-II.—10 days commuted leave with effect from 18.8.2017 to 27.8.2017 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Ravinder Kumar Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Ravinder Kumar Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Ravinder Kumar Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

BY ORDER
Sd/-
REGISTRAR GENERAL

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th August, 2017

No.HHC/Admn.6(24)-part.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Sub Section (2) and (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973(Act No. 2 of 1974) and all other powers enabling it in this behalf, has been pleased to confer the powers of Judicial Magistrates First Class upon the following Judicial Magistrates Second Class to be exercised by them within the local limits of the Districts where they are posted, with immediate effect:

Sl. No.	Name of Judicial Officer	Designation and place of posting	District
1.	Sh. Tarun Walia	Civil Judge-cum- Judicial Magistrate (III), Amb	Una
2.	Ms. Rosy Dahiya	Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (IV), Mandi	Mandi
3.	Sh. Rishabh Kapoor	Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (II), Kangra	Kangra
4.	Ms. Deepika Thakran	Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (III), Ghumarwin	Bilaspur
5.	Ms. Vibhuti Bahuguna	Civil Judge-cum- Judicial Magistrate (III), Una	Una
6.	Sh. Parth Jain	Civil Judge-cum-Judicial Magistrate (IV), Hamirpur	Hamirpur
7.	Sh. Vishal	Civil Judge-cum- Judicial Magistrate(II), Sarkaghat	Mandi

BY ORDER
Sd/-
REGISTRAR GENERAL

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 23rd August, 2017*

No.HHC/GAZ/14-220/96-I.— Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 12 days un-availed earned leave *w.e.f.* 31.7.2017 to 11.8.2017 with permission to prefix Sunday falling on 30.7.2017 and to suffix Second Saturday, Sunday and gazetted holidays falling *w.e.f.* 12.8.2017 to 15.8.2017, already sanctioned vide this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-220/96-Part-21299-306, dated 26.7.2017, in favour of Shri Bhupesh Sharma, the then District and Sessions Judge, Hamirpur, H.P.

BY ORDER,
Sd/-
REGISTRAR GENERAL.

**In the Court of Shri Arindam Chaudhary, IAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

Parveen Kumar aged 29 years s/o Shri Jagdish Chand, r/o Village Khotya, P.O. Badehar, Tehsil & District Hamirpur (H.P.)

and

Rajni Devi aged 27 years d/o Shri Jagdish Chand, r/o Village Gharan, P.O. Bagwara, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . . *Applicants*

Versus

General Public

Subject.— Notice under Special Marriage Act, 1954.

Parveen Kumar and Rajni Devi have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavit and other supported documents in the court of undersigned in which they stated that they solemnized marriage on 15-08-2017.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-09-2017. The objection received after 20-09-2017 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21-08-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur (H.P.).*

In the Court of Shri S. K. Prashar, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Officer(c), Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

1. Parshotam Lal aged 26 years s/o Dalip Singh, r/o Village Dhasma, P.O. Kanjian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P.
2. Smt. Rajni aged 21 years d/o Sh. Birla, r/o Village Katoh, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Parshotam Lal aged 26 years s/o Dalip Singh, r/o Village Dhasma, P.O. Kanjian, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. and Smt. Rajni aged 21 years d/o Sh. Birla, r/o Village Katoh, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 02-04-2017 at Nawahi Mata Mandir, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 22-09-2017. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 26-08-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur, H.P.*

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप—मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि० प्र०

1. Hem Raj aged 40 years s/o Shri Janak Raj s/o Sh. Palu Ram, r/o Village Morsu Sultani, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Promila Devi aged 31 years w/o Late Shri Ashok Kumar, r/o Village Bhalana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी

आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता—पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 10—10—2017 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
विवाह पंजीकरण अधिकारी,
बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि० प्र०।

ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी
दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि० प्र०

श्रीमति Lhakpa Dolma

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमति Lhakpa Dolma पुत्री श्री Penpa T. Sering, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Lhakpa Dolma का जन्म दिनांक 10-10-1984 को हुआ है परन्तु एम०सी० D/Shala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Lhakpa Dolma का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-09-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी
दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि० प्र०

श्रीमति Kanta Devi

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमति Kanta Devi पत्नी Late श्री Uttam Chand, निवासी Sokni-Da-Kot, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Father-in-Law Amin Chand की मृत्यु दिनांक 24-11-2015 को हुई है परन्तु ग्राम पंचायत Sokni-Da-Kot में मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Amin Chand के मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-09-2017 को असालतन या

वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी
दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री Bishan Dass

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Bishan Dass पुत्र श्री Ronki Ram, निवासी Sokni-Da-Kot, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Mother Gujro Devi की मृत्यु दिनांक 11-11-2006 को हुई है परन्तु ग्राम पंचायत Sokni-Da-Kot में मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Gujro Devi के मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-09-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-08-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

**In the Court of Marriage Officer, Sub-Divisional Magistrate, Nagrota Bagwan,
District Kangra, H.P.**

1. Shri Amit Katoch s/o Sh. Janam Singh Katoch, r/o V.P.O. Hatwas, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P.
2. Mrs. Jyoti Rana d/o Sh. Nageshwar Dass, r/o Village Sanghyar, P.O. Thill, Tehsil Khundian, District Kangra, H.P.

Versus

General Public

Subject:—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Applicants Sh. Amit Katoch s/o Sh. Janam Singh Katoch, r/o V.P.O. Hatwas, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P. and Mrs. Jyoti Rana d/o Sh. Nageshwar Dass, r/o Village Sanghyar, P.O. Thill, Tehsil Khundian, District Kangra, H.P. have filed as application alongwith affidavites in the Court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-2-2016 according to Hindu Rites and coustoms at Shri Mata Mansa Devi Temple, Chamunda, Tehsil Dharamshala, District Kangra and living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 3-10-2017. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 4-8-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriaage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate,
Nagrota Bagwan, District Kangra, H.P.*